भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Title:बीमा परिषद

Reference No.: **Date:**16/02/2001

जीवन और सामान्य बीमा परिषदों का गठन

जबकि बीमा अधिनियम 1938 की धारा 64 ए के अनुसार भारतीय बीमा संघ की स्थापना की गई है. जिसके सदस्य भारत में व्यवसाय करने वाले सभी बीमाकर्ता हैं.
जबकि धारा 64 सी के प्रावधान स्वतंत्र जीवन बीमा परिषद और समान्य बीमा परिषद की स्थापना को अनुमत करते हैं.
और जबकि बीमा अधिनियम 1938 की धारा 64 एफ प्राधिकरण को उपधारा 1(ए), 1(सी) एवं 1(डी) तथा उपधारा (2)(ए), (2) (सी) एवं (2)डी के अंतर्गत कार्यकारी समिति के सदस्यों को नामित करने के लिए प्राधिकृत करता है.
अब बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न अस्तित्व में लए गए:
(ए) जीवन बीमा परिषद
(बी) समान्य बीमा परिषद
वर्तमान में भारतीय बीमा संघ एवं जीवन बीमा परिषद तथा समान्य बीमा परिषद के मुख्यालय मुंबई में होंगे.
धारा 64 एफ की उपधारा (1) (ए) के अनुसार प्राधिकरण एतदद्वारा श्री एच ओ सोनिग एवं श्री हरभजन सिंह को जीवन बीमा परिषद की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में नामित करता है. श्री एच ओ सोनिग कथित परिषद की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे.
अधिनियम की धारा 64 एफ (1)(सी) के अनुसार, प्राधिकरण फिक्की के महासचिव श्री अमित मित्रा को सदस्य के रूप में नामित करता है.
धारा 64 एफ (2) के अनुसार प्राधिकरण निम्न अर्थात श्री एच अंसारी एवं श्री एस डी मोहिले को सामान्य बीमा परिषद की कार्यकारी समिति के रूप में नामित करता है. श्री एच अंसारी सामान्य बीमा परिषद की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे.
धारा 64 एफ(2)(सी) के अनुसार, प्राधिकरण भारतीय उद्योग संघ के महानिदेशक श्री तरूण दास को कार्यकारी समिति का सदस्य नामित करता है.
धारा 64 एफ की उपधारा (1)(बी) एवं उपधारा (2)(बी) के अनुसार, दोनों परिषदों की कार्यकारी समिति के चुनावों पर प्राधिकरण यथासमय 64 एफ(1) एवं 64 एफ(2) (डी) के अनुसार कार्यकारी समिति में पांच सदस्यों को नामित करेगा.
परिषद एवं कार्यकारी समिति तत्काल प्रभाव से अस्तित्व में आती है।

(एन रंगाचारी)
अध्यक्ष

श्री के एन भंडारी, अध यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, न्यू इंडिया अश्योरेंस ने सामान्य बीमा परिषद के अध्यक्ष के रूप में अप्रैल, 2001 में कार्यभार ग्रहण किया.
श्री आर सी शर्मा, सदस्य इरडा को सामान्य बीमा परिषद के सदस्य के रूप में अक्तूबर, 2001 में शामिल किया गया।
(एन रंगाचारी)
अध्यक्ष